संस्कृति निधि की स्थापना की गई है, में यह प्रावधान किया गया है कि इस अंशदान के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परिसंपत्तियों में अन्य के साथ साथ 17 करोड़ और 50 लाख रुपये शामिल होंगे जो संस्कृति विभाग, भारत सरकार के योजनागत बजट में से दिये जायेंगे।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 एंव 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है।

(घ) आज की तिथि के अनुसार, राष्ट्रीय संस्कृति निधि को निम्नांकित अंशदान प्राप्त हुए हैं,

(I) 1996-97 के दौरान संस्कृति विभाग से 2 करोड़ रुपये का संचित अंशदान।

(II) भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास से 1,54,750/ रुपये जो ताजमहल पर खर्च किया जायेगा।

(III) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद से 25,000/-रुपये।

(IV) पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय के सचिव श्री वि. एल. केलकर से 1,000/--रुपये।

(ड़) अब तक किसी को नहीं।

Financial Irregularities in Law Faculty, Delhi University

1168. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item, in the Hindustan Times, dated 12th October, 1997 regarding Rs. 20 lakh embezzled in Delhi University and state whether irregularities amounting to Rs. 20 lakh have been detected during the course an audit enquiry conducted into the financial affairs of Law Faculty, Delhi University; and

(b) if so, the action taken against the guilty persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Representations Regarding. Corruption in KVS

1169. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state what has been the fate of different representations made by MPs detailing widespread and growing corruption in Kendriya Vidyalayas and asking for a high level probe to him and to his predecessors during the preceding five-six years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): Representations received from the MPs detailing corruption in Kendriya Vidyalayas are examined and appropriate action is taken by the Sangathan in accordance with rules.

Senior scales for Yoga teachers in KVS

1170. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya Sangathan has not been given Senior Scale for Yoga Teachers even after 16 years, while all other categories of teachers have been given senior scale after 12 years of service;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether they will be given senior scale before being given scales as per fifth Pay Commission provisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) Kendriya Vidyalaya Sangathan has informed that the scheme of teaching Yoga in Kendriya Vidyalayas was started in 1981-82 on an experimental basis and later it was decided for continuing the scheme on a regular basis.

The qualifications and pay scales of Yoga Teachers (Rs. 1400—2300) were lower than those of Trained Graduate Teachers (Rs. 1400—2600) who have been granted the benefit of senior scale of pay. No corresponding senior scale is attached to the post of Yoga teacher.

Identification of New Archaeological sites

1171. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the new archaeological sites identified through remote sensing data during the last two years; and

(b) the steps taken to follow up and excavate those sites to find out the lost treasures of ancient civilisations hidden under the earth?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) The Archaeological Survey of India has not identified any archaeological site through remote sensing data, so far.

(b) Question does not arise.

अर्जुन पुरस्कार विजेता

1172. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे खेलों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाड़ियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब तक सम्मानित किए गए खिलाड़ियों की संख्या कितनी है,

(ख) अर्जुन पुरस्कार के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं,

(ग) क्या प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कार देने के संबंध में सिफारिश और प्रभाव के आरोप लगाए जाते हैं,

(घ) क्या सरकार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का विचार रखती है,

(ङ) यदि हां, तो अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी है और इसके साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और

(च) क्या सरकार इन्हें बढ़ाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन): (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) अर्जुन पुरस्कार देने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नासुर है:-

(1) अर्जुन पुरस्कार हेतु पात्र खिलाड़ी का न केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि उस वर्ष भी उत्कृष्टता हासिल की जानी चाहिए जिसमें पुरस्कार देने की अनुशंसा की गई है और इसके साथ ही उसमें नेतुत्व क्रीड़ाकौशल तथा अनुशासन की भावना के गुण भी विद्यमान होने चाहिए।

(2) ऐसे खिलाड़ियों के नामों पर भी अर्जुन पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है जिन्होंने खेलों एंव खेलों के संवर्धन में अपना जीवन काल समर्पित किया है।

(ग) कुछ खिलाड़ियों ने विगत में चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की है जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला है।

(घ) अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया पहले से ही पारदर्शी एंव निष्पक्ष है क्योंकि नाम राष्ट्रीय खेल परिसंधों और राज्य सरकारों से आमंत्रित किये जाते हैं और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम एंव खेल होते हैं और इसमे वरिष्ट अधिकारी तथा खेल प्राधिकारी सम्मिलित होते हैं।

(ङ) अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अर्जुन पुरस्कार समारोह में 50,000/-रु. के नकद इनाम के साथ अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक सम्मान स्क्रोल तथा समारोह संबंधी पोशाक प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुरस्कार प्राप्तकर्ती को रेल मंत्रालय की तरफ से प्रथम